मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक: 03/24/17 निर्णय दिनाँक: 01/01/20 अवधि: 2 वर्ष, 9 माह, 8 दिन

पीठासीन: श्री चंद्रोदय कुमार एच.जे.एस.

MACP No.132 वर्ष 2017

मोहित अहिरवार पुत्र श्री अशोक कुमार, आयु- 23 वर्ष, निवासी- 6 नयापुरा, पुलिया नम्बर-9, जिला- झाँसी

---------याची

प्रति

1. वीरेन्द्र परिहार पुत्र श्री दशरथ परिहार, 16/1, हाता प्यारेलाल, नगरा, झाँसी

.....पंजीकृत स्वामी पिकअप संख्या- UP93AT 8320

2. जय प्रकाश साहू पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद साहू, निवासी-60 नैनागढ नगरा, चिमेडिया विवाह घर के आगे, झाँसी

.....चालक पिकअप संख्या- UP93AT 8320

--------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता श्री संतोष कुमार दोहरे

विपक्षी संख्या- एक एवं दो के अधिवक्ता श्री राजयोगेन्द्र कुमार

निर्णय

याची की ओर से यह याचिका विपक्षीगण के विरुद्ध धारा- **166** एवं **140** मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ₹ **4,15,000** प्रतिकर एवं उस पर **18%** वार्षिक दर से ब्याज दिलाये जाने हेतु योजित की गयी है।

2. याचिका में याची का कथन है कि दिनाँक 27.01.2017 को याची अपने मित्र सोमेश उर्फ सुमेश के साथ घर आने के लिए टैक्सी के इन्तजार में डी.आर.एम. कार्यालय के सामने सडक किनारे खडा था तभी स्टेशन की ओर से बहुत तेजी व लापरवाही से आ रही पिकअप संख्या- **UP93AT 8320** के चालक ने लहराकर याची व उसके मित्र सुमेश को टक्कर मार दी और लहराती हुई आगे जाकर पलट गयी, जिससे याची के दांये पैर में गम्भीर चोटें, फैक्चर हो गया। उक्त घटना को मौके पर इमरान, संतोष कुमार व शुभम ने देखा व घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुँचाया, जहां इलाज के दौरान दिनाँक 29.01.2017 को याची के मित्र सोमेश की मृत्यु हो गयी तथा याची घटना की तिथि से दिनाँक 07.02.2017 तक इलाज हेतु भर्ती रहा, जहां याची की अनेक जाँचे, एक्सरे, प्लास्टर आदि किया गया। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सोमेश के भाई अमन ने दिनाँक 29.01.2017 को थाना- नवाबाद उपरोक्त पिकअप चालक के विरुद्ध अपराध संख्या- 116/17 के अर्न्तगत पंजीकृत कराई। याची बिजली फिटिंग का काम करके प्रतिदिन ₹ 250 आय अर्जित करता था, जिससे याची अपने परिवार का भरण पोषण करता था परन्तु कथित घटना में पैर टूट जाने के कारण लगभग एक वर्ष तक याची अपना उक्त कार्य नहीं कर सकेगा, जिससे याची को आर्थिक तंगी होगी। याची का पैर टूट जाने के कारण याची जीवन भर के लिए स्थाई रूप से अपंग हो गया तथा मानसिक व शारीरिक कष्ट से जूझ रहा है। उपरोक्त अभिकथन के आधार पर याची ने विपक्षीगण से ₹ **4,15,000** प्रतिकर एवं उस पर **18%** वार्षिक दर से ब्याज दिलाये जाने की याचना की है।

3. विपक्षी संख्या- 1 एवं 2 क्रमश: वीरेन्द्र परिहार एवं जय प्रकाश साहू की ओर से जवाबदावा 41B दाखिल कर कथित घटना के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन में बल दिया गया है कि याची ने मनगढन्त कहानी बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर केवल प्रतिकर पाने के आशय से वर्तमान याचिका योजित की है। **कथित घटना याची के पुत्र सोमेश द्वारा तेजी व लापरवाही से दो पहिया वाहन को चलाये जाने के कारण घटित हुई थी जबकि विपक्षी चालक कथित घटना के समय अपने वाहन पिकअप को सावधानी पूर्वक अपनी साइड पर चलाता हुआ स्टेशन से इलाइट की ओर जा रहा था तभी सामने से बडी तेजी व लापरवाही से आ रहे चार पहिया वाहन मारुति को बचाने के प्रयास में विपक्षी चालक ने अपने वाहन को नीचे उतारकर ब्रेक लगाये तभी पीछे से उक्त सोमेश ने अपने वाहन मोटर साइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये पिकअप में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सोमेश एवं उसका मित्र घायल हो गये थे। दिनाँक 28.01.2017 व 29.01.2017 के समाचार पत्रों (झाँसी) द्वारा अपने समाचार पत्रों में भी उक्त सोमेश उर्फ सुरेश कुमार व मोहित को मोटरसाइकिल चलाना दर्शाया गया है जो कि सही है।** याची ने केवल प्रतिकर पाने के आशय से फर्जी कहानी बनाकर प्रश्नगत वाहन पिकअप के चालक के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। कथित घटना में विपक्षी पिकअप चालक की कोई गल्ती नहीं है। कथित घटना के समय प्रश्नगत वाहन पिकअप के चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र था। याची ने तथाकथित मोटर साइकिल की बीमा कम्पनी एवं स्वामी को पक्षकार नहीं बनाया है। याची ने याचिका के समर्थन में सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल नहीं किये हैं तथा बढ़ा-चढ़ाकर प्रतिकर

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.01 20:51:19 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

की याचना की है। उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर विपक्षी संख्या- एक एवं दो की ओर से याची की वर्तमान याचिका निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये।

1. क्या दिनाँक 21.01.2017 को समय करीब 8:15 बजे शाम, स्थान डी.आर.एम. कार्यालय के पास, थाना- नवाबाद, जिला-झाँसी में पिकअप वाहन संख्या- UP93AT 8320 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये सड़क किनारे खडे याची मोहित अहिरवार को टक्कर मार दी जिससे याची को गम्भीर चोटें आयीं ?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना दिनाँक व समय पर पिकअप वाहन संख्या- UP93AT 8320 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था ?

3. क्या प्रश्नगत वाहन दुर्घटना दिनाँक एवं समय पर पिकअप वाहन संख्या- UP93AT 8320 विपक्षी संख्या- तीन बीमा कम्पनी से विधिवत बीमित थी ?

4. क्या याची विपक्षीगण से प्रतिकर की धनराशि पाने का हकदार है, यदि हाँ तो कितनी व किससे ?

5. अपने कथनों के समर्थन में याची की ओर से स्वंय को PW-1 के रूप में तथा PW-2 संतोष कुमार एवं PW-3 अजय कुमार नायक को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची-7C/1 से विवेचक द्वारा वाहन स्वामी को प्रेषित नोटिस, घटना स्वीकृति आवेदन, वाहन स्वामी का आधार कार्ड, प्रश्नगत वाहन पिकअप का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी, चालक अनुज्ञा पत्र एवं चालक के आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ, इसी सूची से प्रथम सूचना रिपोर्ट, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की छाया प्रतियाँ एवं मूल आघात प्रतिवेदन, सूची- 32/C से आरोप पत्र, नक्शा नजरी, एक्सरे रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियाँ, सूची- 44/C से 43 किता क्रय की गयी दवाओं के बिल तथा सूची- 100/C से असल भर्ती अभिलेख BHT एवं इंजरी रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट, सूची- 104/C से प्रमाणित प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट, सूची- 109/C से समाचार पत्र की प्रति आदि प्रपत्र दाखिल किये गये।

6. विपक्षीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची- 113C/1 से इसी दुर्घटना पर प्रस्तुत MACP वाद संख्या- 133/17 श्रीमती रेखा देवी बनाम वीरेन्द्र परिहार में विपक्षी साक्षी DW-1 कमलेश रिछारिया पिकअप चालक द्वारा दिये गये बयान की सत्यापित प्रति दाखिल की गयी। उक्त के अतिरिक्त विपक्षीगण की ओर से कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. मैंने उभय पक्ष की ओर से वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन एवं मूल्यांकन किया।

निष्कर्ष

8. **निस्तारण विवाद्यक संख्या- एक**

स्वीकृत रूप से दुर्घटना का होना साबित है। चोट-प्रपत्र प्रपत्र सं. 9C1 मे भी RTA का उल्लेख है। चूँकि विपक्षी के वाहन का बीमा नहीं है अतः दुरभि संधि का कोई मामला प्रतीत नहीं होता है। अब प्रश्न यह है कि इस दुर्घटना में उपेक्षा किसकी और कितनी है। इस संबंध में उभय पक्ष के अभिवचन आरोप-प्रत्यारोप पर आधारित हैं और उभय पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी भी आरोप-प्रत्यारोप का ही साक्ष्य दे रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस समय दुर्घटना घटित हुई उस समय-

(i) मोहित अपने मित्र सोमेश के साथ मोटर साइकिल से स्टेशन की ओर से इलाइट की ओर आ रहा था, अथवा

(ii) मोटर साइकिल से इलाइट की ओर से स्टेशन की ओर जा रहा था, अथवा

(iii) इलाइट से डी.आर.एम. आफिस तक पैदल आकर सड़क किनारे खड़े होकर किसी वाहन का इंतजार कर रहा था।

9. याची की ओर से परीक्षित कथित चक्षुदर्शी साक्षी संतोष PW2 ने उपेक्षा के बिंदु पर याचिका के कथानक का समर्थन तो किया है किंतु प्रति परीक्षा मे इसने स्वीकार किया है कि वह मृतक के जानने वाले हैं, एक ही समाज के है तथा इनका घर मृतक के घर से 10-12 घर दूर एक ही मुहल्ले मे है। मृतक के परिवार वालों के साथ मेडिकल कॉलेज जाना भी बताते हैं तथा 29 तारीख को मेडिकल कॉलेज में मृत्यु होना भी बताते हैं। तात्पर्य यह है कि यह साक्षी याची पक्ष के करीबी व हितबद्ध प्रतीत होते हैं तो प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यह वास्तव में दुर्घटना दिनाँक 21.01.2017 को समय करीब 8.15 बजे झाँसी जैसे शहर में जाड़े की रात मे दुर्घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति का कोई औचित्यपूर्ण कारण बता पा रहे हैं ? इनका मुख्य परीक्षा में कहना है कि वह, इमरान व शुभम सड़क की **दूसरी तरफ पुलिया पर बैठे थे**, जबकि इसके विपरीत प्रति परीक्षा में इनका कहना है कि वह मृतक सोमेश व मोहित के साथ नहीं थे, दुर्घटना स्थल से दूर खड़े थे। दो तीन व्यक्तियों के साथ वहाँ **डी.आर.एम. आफिस पर ऐसे ही खड़े थे**। उसके साथ इमरान व शुभम **खड़े** थे। वह लोग

प्लॉट के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। कथनों में ऐसे अंतर्विरोध साक्षी की दुर्घटना स्थल पर उपस्थिति को संदेहास्पद बनाते हैं। चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 8 दिन बाद दर्ज कराई गई है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में गवाहों के रूप मे इमरान व शुभम के नाम सोच विचार के पश्चात लिखे गए हों।

10. उपहत साक्षी मोहित PW-1 तथा चक्षुदर्शी साक्षी संतोष दुर्घटना को डी.आर.एम. ऑफिस की तरफ वाली पटरी पर होना बताते हैं जबकि नक्शा नजरी में दुर्घटना डी.आर.एम. ऑफिस के विपरीत वाली पटरी पर दर्शाई गई है जो कि निम्न प्रकार है-

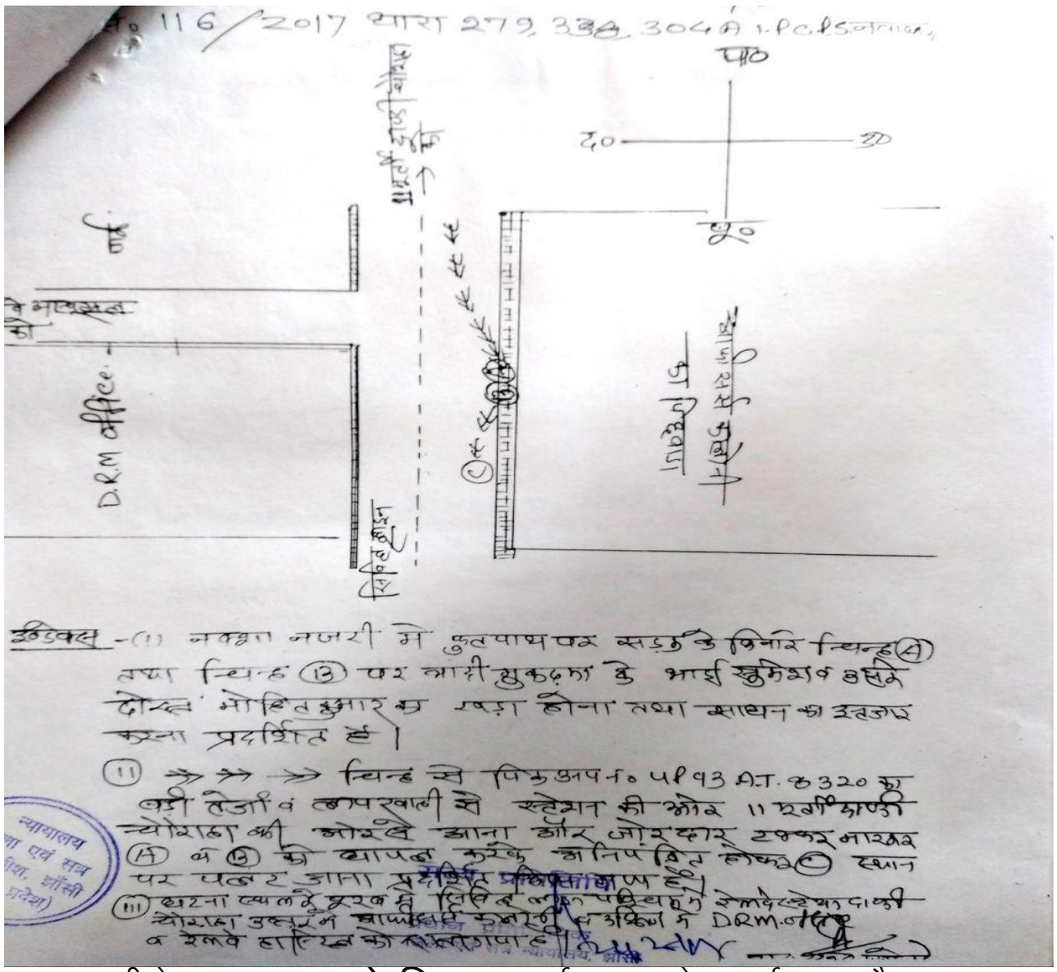

नक्शा नजरी के अनुसार **सड़क के जिस तरफ** दुर्घटना का होना दर्शाया गया है **उस तरफ** वह विपक्षी के कथानक के अनुसार सटीक तो बैठता है जिसके समर्थन मे विपक्षी गण की ओर से DW-1 कमलेश रिछारिया को परीक्षित किया गया है जिन्होने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाँक 27.01.17 समय 8:00 एवं 8:15 रात्रि के समय की घटना है। वह अपने मित्र से मिलने डी.आर.एम. ऑफिस के सामने कॉलोनी में जा रहा था। वह स्टेशन से इलाइट की ओर डी.आर.एम. ऑफिस के पास पहुँचा था कि **स्टेशन की तरफ से एक पिकअप गाड़ी अपनी साइड पर आ रहा था** कि इलाइट की ओर से मारुति कार गलत साइड में आ गई। पिकअप के चालक द्वारा मारुति को बचाने के लिए ब्रेक लगाए ही थे कि **पीछे से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाते आए तथा पीछे से पिकअप में टकरा गए थे** और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। **एकाएक ब्रेक लगने से पिकअप पलट गई** थी। उल्लेखनीय है कि चौपहिया तेज गति वाहन सामान्यतः अचानक ब्रेक लगाने के कारण पलट जाता है न कि मात्र तेज गति के कारण किंतु इस साक्षी के कथनों में भी अनेक ऐसे अंतर्विरोध हैं जिससे इस साक्षी की भी विश्वसनीयता कम हो जाती है जैसे प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह पिकअप स्वामी विपक्षी वीरेंद्र का दोस्त है और वह इसलिए साक्ष्य देने आया है कि इस क्लेम की क्षतिपूर्ति का भार ना आए। यह साक्षी मोटरसाइकिल का नंबर भी नहीं बता पाया है।

11. दैनिक जागरण झाँसी के 29 जनवरी 2017 के समाचार पत्र में यह समाचार मुद्रित हुआ है कि प्रेम नगर के पुलिया नंबर 9 मोहल्ला ठकुरयाना निवासी सुमेश पुत्र स्वर्गीय महेंद्र कुमार व मोहित पुत्र अशोक कुमार मोटरसाइकिल द्वारा घर जा रहे थे। डी.आर.एम. ऑफिस के पास लोडिंग गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। यह समाचार भी समाचार पत्र में 1 दिन बाद छपा है जिससे इसके प्रायोजित होने की संभावना भी हो सकती है और चूँकि समाचार पत्र का संवाददाता परीक्षित नहीं हुआ है, अतः समाचार पत्र के समाचार के तथ्यों को पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

12. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि सोमेश और मोहित द्वारा इलाइट चौराहे से आगे पैदल चलकर डी.आर.एम. ऑफिस से टैक्सी पकड़ने का क्या औचित्य बनता है ? और यदि यह मान भी लिया जाए कि सोमेश और मोहित पैदल डी.आर.एम. ऑफिस तक गए थे तो PW2 संतोष ने तो प्रति परीक्षा में दुर्घटना सड़क पर होनी बताई है न कि फुटपाथ पर तो फिर सोमेश और मोहित सड़क पर क्यों थे जबकि सड़क के किनारे फुटपाथ बना है जिसके फोटोग्राफ्स विपक्षीगण द्वारा दाखिल किए गए हैं। उनका यह भी तर्क है कि टैक्सी तो फुटपाथ पर खड़े होकर हाथ देकर ही रोकी जाती है। मेरे विचार से बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल है क्योंकि टैक्सी ईलाइट से स्टेशन के लिए एक समान किराए पर चलती है। याची के विद्वान अधिवक्ता इस बात से सहमत हैं कि इलाइट चौराहे पर टैक्सी स्टैण्ड है और इलाइट चौराहे और स्टेशन के मध्य डी.आर.एम. ऑफिस है और ऐसा भी नहीं है कि डी.आर.एम. ऑफिस से स्टेशन के लिए टैक्सी मे बैठने पर किराया कम हो जाए। इस बात का कोई स्पष्टीकरण पत्रावली पर नहीं है कि सोमेश और मोहित डी.आर.एम. ऑफिस तक पैदल क्यों गए जबकि वहाँ टैक्सी मे जगह मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। उपहत साक्षी मोहित ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि वह टैक्सी स्टैंड से टैक्सी में बैठकर इलाइट आया था। इलाइट पर केक लेने आया था। 15-20 मिनट इलाइट पर रुका रहा। वह इलाइट से डी.आर.एम. ऑफिस तक पैदल आया। **रास्ते में उसे कोई काम नहीं था।** इलाइट से डी.आर.एम. ऑफिस तक टैक्सी में नहीं बैठा। मेरे विचार से चूँकि इलाइट से डी.आर.एम. ऑफिस पैदल आने का कोई औचित्य नहीं बनता है अतः बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के इस सुझाव मे बल है कि फुटपाथ के बजाए सड़क पर खड़े होकर टैक्सी रोकने का कोई औचित्य नही बनता है तथा इस संभावना से कतई इंकार नही किया जा सकता है कि सोमेश और अमित पैदल डी.आर.एम. ऑफिस तक नहीं आए थे बल्कि वे मोटरसाइकिल पर थे और यह घटना मोटरसाइकिल और पिकअप के मध्य डी.आर.एम. ऑफिस के सामने हुई है। मोटर साइकिल की योगदायी उपेक्षा को छिपाने व अधिक प्रतिकर प्राप्त करने के मंतव्य से संभवतः याची पक्ष द्वारा मोटर साइकिल को कथानक से हटा दिया गया है।

13. उक्त संपूर्ण साक्ष्य से कोई भी पक्ष अधिसंभव्य रूप से यह साबित करने में सफल नहीं हो सका है कि वास्तव में इस दुर्घटना में किसकी कितनी उपेक्षा थी अतः मेरे विचार से यह मामला बराबर का बनता है किंतु चूँकि मोटरसाइकिल के सापेक्ष पिकअप भारी वाहन है अतः उस से सावधानी की अपेक्षा अधिक की जाती है और चूँकि आरोपपत्र भी पिकअप चालक के विरुद्ध है अतः इस प्रकरण में मैं पिकअप चालक को **70%** उपेक्षावान मानता हूँ। तदनुसार विवाद्यक संख्या- एक निर्णीत किया जाता है।

14. <u>निस्तारण विवाद्यक संख्या-दो</u>

जय प्रकाश साहू के विरुद्ध पिकअप के चालक रूप मे आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जय प्रकाश साहू के चालन अनुज्ञा पत्र प्रपत्र सं.-22C/1 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त चालक अनुज्ञा पत्र दिनाँक 21.02.2000 को निर्गत किया गया है तथा दिनाँक 20.2.2020 तक नॉन ट्रान्सपोर्ट एवं दिनाँक 08.08.2019 तक ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी है। दुर्घटना दिनाँक 27.01.2017 की है। अतः यह साबित है कि दुर्घटना दिनाँक व समय पर पिकअप वाहन संख्या-UP93AT 8320 के चालक जय प्रकाश साहू के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था। तदनुसार विवाद्यक संख्या-दो निर्णीत किया जाता है।

15. <u>निस्तारण विवाद्यक संख्या-तीन</u>

वाहन पिकअप की बीमा पॉलिसी प्रपत्र सं.-22C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बीमा पॉलिसी दिनाँक 05.10.2015 से 04.10.2016 तक वैध एवं प्रभावी है। अर्थात कथित घटना के दिनाँक 27.01.2017 को प्रश्नगत वाहन पिकअप किसी बीमा कम्पनी में विधिवत बीमित नहीं था। तदनुसार विवाद्यक संख्या-तीन निर्णीत किया जाता है।

16. <u>निस्तारण विवाद्यक संख्या-चार</u>

यह विवाद्यक प्रतिकर निर्धारण से सम्बन्धित है। विवाद्यक संख्या- एक की विवेचना से यह तथ्य साबित हो चुका हैं कि दिनाँक 27.01.2017 को डी.आर.एम. कार्यालय के समक्ष घटित दुर्धटना मे वाहन पिकअप के चालक उपेक्षा की 70 प्रतिशत एवं याची के पुत्र की 30 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा रही है।

17. विवाद्यक संख्या- दो एवं तीन की विवेचना से यह तथ्य साबित है कि कथित घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत वाहन पिकअप के चालक के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र था तथा कथित दुर्घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत वाहन किसी बीमा कम्पनी में बीमित नहीं था। अतः प्रस्तुत प्रकरण में क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या- एक वाहन स्वामी पर है।

18. अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि याची विपक्षी संख्या- एक से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है ?

19. अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि याची विपक्षी संख्या-एक से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है। PW1 ने बिजली फिटिंग से ₹ 7500 प्रतिमाह कमा लेने का कथन किया है किंतु इस संबंध मे कोई स्वतंत्र साक्ष्य नही है। विधि व्यवस्था **लक्ष्मी देवी एवं अन्य बनाम मोहम्मद तब्बर एवं अन्य (25.3.2008-SC):MANU/SC/7368/2008** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹ 100 प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था **चन्द्रावती बनाम सुशील कुमार एवं अन्य (01.8.2018-ALLHC): MANU/UP/2954/2018** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200 प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत में असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितियों पर आधारित होता है। माह में औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की सम्भावना रहती है। ऐसी स्थिति में याची को कथित घटना के समय एक अकुशल मजदूर मानते हुये प्रतिकर निर्धारण हेतु कथित घटना के समय याची की प्रतिदिन की कल्पित आय ₹ 165 निर्धारित की जाती है।

20. याची की ओर से याचिका में बल दिया गया कि प्रश्नगत घटना में उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया तथा सिर व पूरे शरीर में चोटें आयीं थी जिसका इलाज मेडिकल कालेज, झाँसी में हुआ और याची कथित घटना के दिनाँक से दिनाँक 07.02.2017 तक भर्ती रहा एवं उसके बाद अब भी इलाज चल रहा है। पैर में फैक्चर हो जाने के कारण याची हमेशा के लिए स्थाई रूप से विकलांग हो गया है। इसी प्रकार के कथन याची मोहित अहिरवार द्वारा अपनी साक्ष्य में भी किये गये हैं, परन्तु याची की ओर से अपना कोई विकंलागता प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कथित घटना में आयी गम्भीर चोटों के कारण याची को किसी प्रकार की स्थाई विकलांगता आना स्पष्ट नहीं है। अत: याची भविष्य की हानि के मद में कोई अतिरिक्त प्रतिकर पाने का अधिकारी नहीं है। उक्त के अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध मेडिकल कालेज, झाँसी द्वारा निर्गत बेड हेड टिकट, एवं अन्य चिकित्सीय आख्याओं, जिन्हे स्वंय साक्षी PW-3 अजय कुमार नायक ने अपनी साक्ष्य से साबित किया है, के अवलोकन से विदित होता है कि कथित घटना की तिथि 27.01.2017 को याची इलाज के लिए मेडिकल कालेज, झाँसी में भर्ती हुआ और इलाज के उपरान्त दिनाँक 12.02.2017 को डिस्चार्ज किया गया है। इस दौरान याची के पैर में प्लास्टर बांधा गया तथा शरीर में आयी अन्य चोटों का इलाज हुआ है। याची की ओर से सूची-44C/1, 44C-1/2, 44C-1/3 से इलाज के दौरान क्रय की गयी दवाओं के कुल-43 बिल अंकन-₹ 31,739 दाखिल किये गये हैं जिनमें से ₹ 27695 के बिल जो याची के नाम से हैं स्वीकार किए जाने योग्य हैं जिनके खण्डन में विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः उक्त राशि के बिलों की राशि को विश्वसनीय मानते हुये क्रय की गयी दवाओं के बिलों की राशि ₹ 27,695 प्रतिकर के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

21. उपरोक्त स्थिति में मामले के तथ्यों को देखते हुये याची को कथित घटना में आयी गम्भीर चोटों के लिए शारीरिक व मानसिक कष्ट के मद मे ₹ 10,000, अस्थिभंग पर डेढ़ माह की आय के नुकसान हेतु 165x45=7425 इलाज के लिए आवागमन के मद मे ₹ 5,000 व पौष्टिक आहार के लिए ₹ 5,000 एवं तीमारदारी के लिए 7,425; कुल- ₹ 20,000 अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार याची क्रय की गयी दवाओं के बिलों की राशि ₹ 2,7695 तथा अतिरिक्त ₹ 34,850; कुल- ₹ **69,700** प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है। याची के अधिवक्ता ने कम्पोजिट नेग्लीजेंस का तर्क रखा है किंतु यह स्पष्ट नही हो पाया है कि मोटर साइकिल का चालक कौन था। कथित घटना में मोटर साइकिल चालक की30 प्रतिशत अंशदायी उपेक्षा पाई गयी है, अत: याची को प्रदान की जाने प्रतिकर की राशि में से 30 प्रतिशत राशि की कटौती किये जाने के उपरान्त याची ₹ 48,790 प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

22. उक्त के अतिरिक्त विधि व्यवस्था **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि० बनाम मन्नत जोहल एवं अन्य (23.04.19-SC):MANU/SC/0589/2019** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के आलोक में सम्पूर्ण प्रतिकर की धनराशि पर याचिका योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतानकी तिथि तक 7.5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

23. विवाद्यक संख्या- दो एवं तीन के निस्तारण में यह निर्णीत किया जा चुका है कि कथित घटना के समय प्रश्नगत वाहन के चालक के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस था और उक्त वाहन किसी बीमा कम्पनी में विधिवत रूप से बीमित नहीं था। अतः प्रतिकर की उपरोक्त धनराशि की अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या- एक पिकअप स्वामी व विपक्षी संख्या- दो पिकअप चालक पर संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से है। तदनुसार विवाद्यक संख्या- चार निर्णीत किया जाता है।

<u>आदेश</u>

याची की याचिका विपक्षीगण के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से ₹ **48,790** प्रतिकर की धनराशि एवं उस पर 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि के लिए आंशिक रूप से अनुज्ञात की जाती है। विपक्षी संख्या- एक व दो को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से 60 दिन के अन्दर प्रतिकर की समस्त धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या- 3671000101192489 (IFSC: PUNB0367100) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे। धनराशि के इलेक्ट्रानिक हस्तानांतरण के समय याचिका संख्या का संदर्भ अवश्य दिया जाएगा तथा ट्रांजैक्सन नम्बर की सूचना up-pomact.jh@up.gov.in पर दी जाएगी।

याची को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश पर याची के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार किया जाये।

दिनांकः 01.01.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण,
झाँसी

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांकः 01.01.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण,
झाँसी